The question was put and ihe motion was adopted.

SHRI NITI RAI SINGH CHAUDHURY: Sir, I move: —

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION RE: THIRTEENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir I beg to move:—

"That the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from 1st July 1970 to 30th June 1971, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 23rd August 1973, be taken into consideration."

Sir, we are going to discuss the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. It is unfortunate that the author of this Report, Shrimati Debaki Gopidas, the former Commissioner for Linguistic Minorities, is no more. She died in the air crash near Delhi on the 31st May 1973 while returning from Madras. It is unfortunate that her advice, during the course of the debate on this Report, isN denied to us.

Sir, as the House is aware, in accordance with article 350B of the Constitution, the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in July, 1957. The main functions of the Commissioner are to investigate, in accordance with the provisions of article 350B(2), all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities and to report to the President on these matters at such intervals as the President may direct. The Commissioner is expected to send the Report to the President as and when required by him. But, Sir, now Annual Reports are being prepared by the Commissioner for Linguistic Minorities and are discussed in this House often. Now we are considering the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities.

Sir, the Commissioner has made some remarks in the Report on the safeguards, on the working of the safeguards, for the linguistic minorities.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ख़ाली कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर न तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री है, न लीडर आफ द हाउस है, न व्हिप है, कांग्रेस बैन्च बिलकुल ब्लैंक है। क्या हाउस को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बिलकुल नहीं है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU): You are raising the question of quorum only? The concerned Minister is here.

SHRI P1TAMBER DAS: They are caught on the wrong foot.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कोरम भी नहीं है, सरकार का भी कोई नहीं है। कन्सर्न्ड मिनिस्टर से ही संबंध नहीं है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : सब तो यहां मौजूद हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : न व्हिप है, न लीडर आफ द हाउस है, कोई मेम्बर भी रूलिंग पार्टी का उपस्थित नहीं है । कोरम का ही सवाल नहीं है। कोरम भी नहीं है, डिकोरम भी नहीं है ।

श्री ओम् मेहता : मैं आ गया हूं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? आपके हाउस के सदस्य कहां हैं ?

श्री ओम् मेहता : देखिए, आपको इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। सब आ। जाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You can go on, Mr. Mohsin. We are ringing the quorum bell.

SHRI F. H. MOHSIN: Yes, Sir. I was mentioning that the Thirteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities is being considered. Sir, as is usual, he prepares the Annual Reports.

(Quorum bell rings}

SHRI K. CHANDRASHEKHARAN: Sir, Opposition Members have to respond to the quorum bell.

THE VICE-CHAIRMAN: Everybody has got the responsibility, you see.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सबसे बड़ी चीज राज्य सभा की प्रतिष्ठा का है, क्योंकि यहां पर इस समय न चीफ व्हिप है, न मंत्रीगण हैं और न ही यहां पर कोरम है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यहां पर कोरम बनाये और जब सरकारी पक्ष के ही लोग गायब हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। आप मिनिस्टर, लीडर और व्हिप से कहिये कि वे सदन में उपस्थित रहें।

श्री राम निवास मिर्धा : आपने कह दिया है तो बहुत काफी है।

श्री पीताम्बर दास : सवाल अहसास का है। अगर अहसास है तो ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes, the Minister.

SHRl F. H. MOHS1N: I was saying that the Commissioner for Linguistic Minorities prepares annual reports, furnishing information about the extent to which constitutional safeguards have been complied with by the State Governments and then implemented by the various State Governments also. The Commissioner also receives complaints from various linguistic minorities and takes up the matter with the State Governments concerned to meet their grievances. The Commissioner as such is now a very important link between the States and the Centre and also in meeting the grievances of the linguistic minorities in every State.

Sir. before the reorganization of States on linguistic basis, many of the States were bilingual or even trilingual. But even after the formation of the States on linguistic basis, the problems of the linguistic minorities still remain, and in some of the States, really important complaints are received very often. They are taken up by the Commissioner for Linguistic Minorities, and after the report is presented the Central Government also takes up those grievances with the State Governments con-concerned. The safeguards are provided in the Constitution, but often at the meetings of the Chief Ministers and the Education Ministers of all the States concerned, the problems of linguistic minorities are discussed and the decisions arrived at also got implemented by the State Governments. And I am happy to say that co-operation of the State Governments is somewhat encouraging.

Up till now, 12 reports have been laid and discussed here. Now I shall be very happy to hear the observations of the hon. Members of this House on this thirteenth Report. Before saying much about this Report and its implementation, I would be very happy to hear the Members' remarks on this Report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): There is one amendment by Mr. Jagdambi Prasad Yadav. Are you moving, Mr. Yadav?

SHRI J. P. YADAV (Bihar): Yes. Sir. I beg to move:—

"That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"and having considered the same, this House is of the opinion that the definition of 'Linguistic Minorities' on which the Report is based should be changed so that the facts and figures contained in the Report do not depict a misleading picture."

The questions were proposed.

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 1954 में राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना की गई थी ताकि प्रान्तों के एक भाषाई राज्य बनाए जा सकें और वे राज्य बने। राज्य बनने के पश्चात् राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न भाषा-भाषी लोग हैं, इसलिये प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक भाषा-भाषी लोगों की भाषाओं की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। भाषा-जात और अल्पसंख्यक लोगों की संख्या प्रत्येक प्रान्त में है और इसीलिये उनकी भाषा, संस्कृति की रक्षा के लिये एक भाषा-जात आयुक्त नियुक्त किया गया, ताकि प्रत्येक प्रान्त में अल्पसंख्यकों की भाषा की सुरक्षा की जा सके। उसके पश्चात् यह प्रत्यन चला और प्रत्येक प्रान्त ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया। इस दिशा में हमारी केन्द्रीय सरकार भी थोड़ी सी जागरुक हुई और उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा की सुरक्षा के लिये बहुत तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री महावीर त्यागी : इलेक्शन के वास्ते।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : सरकार का उद्देश्य तो यही है। अगर चुनाव न होते और ईमानदारी के साथ सभी प्रान्तों में इस प्रकार से अपनी बेचैनी प्रकट करती, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वह तो चुनाव की वजह से वहां पर ज्यादा सक्रिय हो गई है। परंतु मैं एक बात जानता हूं, क्योंकि मैंने इसी सदन में पिछले वर्ष 12वीं रिपोर्ट पर बोलते हुए पंजाब प्रान्त के बारे में कुछ शिकायतें पेश की थीं। परंतु अभी तक वहां के भाषा-जात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये इस आयुक्त ने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। अनुच्छेद 350 (क) और (ख) के अनुसार पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये वहां की सरकार ने क्या किया है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पंजाब सरकार ने यह बात मानने से ही इनकार कर दिया है कि पंजाब प्रान्त में कोई भाषा-जात अल्पसंख्यक भी है। मैं आयुक्त के शब्दों में ही आपको यह तथ्य बता देना चाहता हूं—जो कि रिपोर्ट में इस प्रकार दिया गया है—"पंजाब सरकार ने भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षणों के कार्यान्वियन के बारे में सूचना नहीं दी जो कि सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई प्रश्नावली में मांगी गई थी। पंजाब सरकार का दृष्टिकोण यह है कि प्रश्नावली में सुरक्षणों को लागू करने के बारे में मांगी गई सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि राज्य में कोई भाषा-जात अल्पसंख्यक है ही नहीं।" यानी पंजाब सरकार इस बात को मानने से इन्कार करती है कि पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यक हैं भी। मेरे सामने 61 और 71 के सेन्सस की रिपोर्ट है। उसमें से मैं पंजाब के फिगर्स देना चाहता हूं। सन '61 में वहां पर हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या 1,12,98,855 थी और '71 में 27,05,931 थी जबकि पंजाबी भाषियों की संख्या '61 में 83,43,264 थी और '71 में 1 करोड़ से कुछ ऊपर थी। इस हिसाब से प्रतिशत लगाया जाय तो 25 प्रातशत का अनुपात वहां हिन्दी भाषा-भाषियों का है। साथ ही उर्दू भाषा-भाषी भी हैं। '61 के सेन्सस में वे 2 लाख 55 हजार थे और '71 के सेन्सस में 29 हजार दिखाए गए हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब '71 की जनगणना हुई तो उस समय विशेष रूप से पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों को जनगणना की रिपोर्ट लेने के लिये लगाया, जिन्होंने जबरदस्ती लोगों की भाषा पंजाबी लिखी। इतना अन्याय हुआ कि जब हिन्दी भाषा-भाषी 1 करोड़ से 27 लाख रह गए फिर भी

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

वहां हिन्दी भाषा-भाषी 25 प्रतिशत हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब में जो भाषा-जात अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिये आयुक्त ने क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब सरकार ने वहां के भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये जो नीति अपनाई है, वह मैं उसी के शब्दों में बताना चाहता हूं। शिक्षा के संबंध में जो सुरक्षा दी गई है, अल्पसंख्यकों के लिये वह यह "यदि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में 40 छात्र या किसी कक्षा में 10 छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों, तो न्यूनतम एक अध्यापक नियुक्त करके अध्यापन की व्यवस्था करना"। इस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिये, परंतु भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लिये जो स्थिति पंजाब में है, वह यह है।

'552--पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने जो बैठक में उपस्थित थे कहा कि सरकारी निर्णय के अनुसार सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती, किन्तु हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान दिये जाते हैं'

ऐसा पंजाब सरकार ने कहा है "राज्य सरकार से पिछले 5 वर्षों में हिन्दी माध्यम वाले प्राइमरी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान के वर्षवार आंकड़े देने के लिये कहा गया।" तो वह आंकड़े अभी तक नहीं दिये गए। वहां के भाषा-जात अल्पसंख्यकों के लोगों ने शिकायत करते हुए सहायक आयुक्त को अपनी जो शिकायतें उपस्थित की हैं, उसमें उन्होंने यह चीज उपस्थित की है:--

"पंजाब सरकार द्वारा सच्चर फारमूले के रद्द किये जाने के बारे में जिसका उल्लेख 12वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 255 में किया गया है, सर्वदलीय हिन्दी रक्षा समिति ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 350ख और 350क के अधीन की गई व्यवस्था के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पंजाब सरकार को निदेश दिया जाए ताकि भाषा-जात अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के अधिकार का उस सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाए।"

और, उपाध्यक्ष महोदय, 'भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने सहायक आयुक्त के सामने जिनसे वह 1971 में चंडीगढ़ के दौरे के दौरान मिले थे, बताया कि पंजाब के पुनर्गठन के पूर्व अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा सरकारी स्कूलों में प्राप्त थी। किन्तु पुनर्गठन के बाद हिन्दी तथा उर्दू भाषियों को प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधाएं नहीं हैं। कहा गया है कि जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट है की पंजाब की जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग हिन्दी भाषा-भाषी है, फिर भी पंजाब सरकार संरक्षणों की स्वीकृत योजना के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने पर सहमत नहीं हुई।'

सरकारी प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी भाषा-भाषियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा नहीं है। यहां तक कि, उपाध्यक्ष महोदय, वहां प्राइवेट स्कूल हैं जो कि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रत्यन करते हैं, परंतु जब वह विश्वविद्यालय में यहां कालेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको हिन्दी भाषा के माध्यम पढ़ने का सुअवसर प्रदान नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति भाषा की है। पंजाब में चाहे वहां के उर्दू के भाषाजात अल्पसंख्याक हैं चाहे हिन्दी के हैं, हिन्दी भाषा-भाषी हैं, उनको पंजाब सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही और उसकी मान्यता यह है कि पंजाब एक भाषा-भाषी है, वहां अल्पसंख्यक हैं ही नहीं। इस प्रकार की उनकी मान्यता है।

जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में जो संरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें संरक्षण इस प्रकार दिया गया है--

"राज्य सेवाओं मे भर्ती के राज्य की सरकारी भाषा के पूर्व ज्ञान की शर्त नही होनी चाहिये और परीक्षा के माध्यम के रूप मे अग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये। राज्य सरकारी भाषा मे दक्षता की परीक्षा परिवीक्षा की अवधि में ली जानी चाहिए।"

परन्तु उपसभापति महोदय, पजाब प्रान्त मे अनिवार्य है कि किसी भी राज्य सेवाओ के लिए कोई भी प्रत्याशी आता है तो उसके लिए पजाबी भाषा अनिवार्य की हुई है, जब कि भाषाजात अल्पमख्यको को इस बात के लिए छूट दी गई है। पजाब मे कोई छूट नही है।

जहां तक मरकारी कामकाज मे हिन्दी की सुरक्षा का प्रश्न है, उमके लिए इम प्रकार की सुरक्षा आपके यहां दी गई है :—

'जिला स्तर पर, उसके नीचे नगरपालिका और तहसील आदि के स्तर पर जहा कि भाषाजात अल्पमख्यक कुल सख्या के 15--20 प्रतिशत है, प्रमुख सरकारी नोटिस, नियम तथा अन्य प्रकाशन अल्पसख्यको की भाषा मे निकाले जाने चाहिए।'

यह सरक्षण दिया हुआ है, परन्तु पजाब की स्थिति क्या है? जो आयुक्त की रिपोर्ट है उसी से आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि वहा कितना सरक्षण प्राप्त है। आयुक्त की रिपोर्ट की धारा 461 मे लिखा है :—

"भाषाजात अल्पमख्यको के प्रतिनिधियो ने जो मार्च, 1971 चडीगढ़ मे महायक आयुक्त से मिले थे इस बात की शिकायत की कि महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस, नियम आदि अल्पसख्यक भाषाओ मे प्रकाशित नही किये जा रहे है और इससे हिन्दी और उर्दू बोलने वालो को कठिनाइया अनुभव हो रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि हिन्दी की नाम पट्टिकाए और साइन बोर्ड हटा दिये गए थे। किन्तु उन्होने बताया कि मतदाता सूचिया हिन्दी मे भी प्रकाशित की गई है। भाषाजात अल्पसख्यको द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयो की ओर पजाब सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनके निवा होने की प्रतीक्षा है।"

इसके अलावा 462 धारा मे आय रिपोर्ट यह बतलाती है :—

"एक शिकायत इस बारे मे भी थ यद्यपि राज्य स्तर तक सारे सरकारी काय जनता से पंजाबी या हिन्दी मे प्राप्त य के उत्तर याचिकाओ की भाषा मे देने वे विद्यमान है फिर भी आवेदन पत्र केवल मे ही प्राप्त किये जाते है और उत्तर १ उसी भाषा मे दिए जाते है।"

सरक्षण इस बात का है कि जिम मे वहा आवेदन पत्र दिये जाये, उ मे उत्तर दिया जाय, परन्तु पजाब के भाषा मे केवल आवेदन पत्र दे सकते है और भाषा मे ही उत्तर दिये जाते है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता वह यह है . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHF RAJU): Tyagiji, you are taking y in quotations.

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : पजाब की नीति यहा तक कडी है कि मैं ए सा उदाहरण देना चाहता हू। पजाब तालो मे जहा आंख के रोगी जाते आख के रोगो के डाक्टर परीक्षा चार्ट लगा रखते है। इसमें कोई का सवाल नहीं है। अग्रेजी पढ़ने वालो व का चार्ट दिया जाना चाहिये, हिन्दी को हिन्दी का चार्ट दिया जाना पजाबी पढ़ने वालो को पजाबी का जाना चाहिये; क्योंकि वे पढ सकते है। चल सकता है कि उनकी आई साइड वं कितनी वीक है। आप आश्चर्य करेंगे के अस्पतालो मे पंजाबी भाषा के गये है और हिन्दी भाषा के सब चार्ट र दिये गये हैं।

श्री महावीर त्यागी : यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : आयुक्त की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : ठीक है, अब आप का टाइम हो गया है ।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : "एक शिकायत इस बारे में प्राप्त हुई थी कि राज्य सरकार ने पंजाब के सभी अस्पतालों में नेत्र परीक्षा के लिए हिन्दी के चार्टों का प्रयोग बन्द कर दिया है । इसके फलस्वरूप केवल हिन्दी जानने वाले रोगियों को बड़ी असुविधा हो रही है और उनके नेत्रों की ठीक-ठीक परीक्षा नहीं हो पाती ।

यह आयुक्त की रिपोर्ट है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : अन्त में मंत्री महोदय से मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष भी मैंने शिकायत की थी कि पंजाब में भाषा-जात अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । वहां आर्य समाज के बहुत कालेज चलते हैं । उन कालेजों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे हिन्दी माध्यम से शिक्षा नहीं दे सकते । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों को यह अधिकार वहां पर दिया । पंजाब सरकार यह कहती है कि वहां भाषा-जात अल्पसंख्यक हैं ही नहीं । सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है, फिर भी वहां के अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आयुक्त जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि भाषा-जात अल्पसंख्यकों का संरक्षण होना चाहिये, उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिये, उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए । और पंजाब में विशेष रूप से मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किये हैं । आशा करता हूं कि आप पंजाब के भाषा-जात अल्पसंख्यकों को दयनीय अवस्था से निकालने की चेष्टा करेंगे ।

SHRI N. R. CHOUDHURY: (Assi Sir, while going through this Report point that struck my mind was whethe are really sincere about solving the prol of the linguistic minorities in the cou; According to the Government of I Memorandum of 1956 as also the 8 ment by the Chief Ministers in Auj 1961, we formulated a national policy till date we have not been able to foi it up and as a result, even after 25 y> of independence we have to face lingu riots in different parts of the country.

Sir, we formulated a policy but tli was no such thing as an institution or ot nisation to supervise or review the differ steps taken by the Union territories State Governments and as a result of tl the State Governments, even though I leaders may be sincere, had to succumb the chauvinistic pressure of reactions forces of the States. The Chief Ministe Conference of 1961 felt that zonal cou cils could serve as the best forum for t, purpose of supervision and review. B what happened? After August, 1964, t today the zonal councils never met. Als the Commissioner says in his Report o page 114:—

"Replies from the State/Union tern tory Governments/Administrations ar not received and when they are forth coming, also they do not always appea to be satisfactory. At the same time the extent to which this office can take up independent investigation to find pui the causes of the decreases in the facilities are still limited."

So, though there are some safeguards in >our 1956 Memorandum and also the Chief Ministers' statement, these safeguards are never implemented. As a result even m this year of 1973 when we are discussing this 13th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities, in different parts of our country the problems of linguistic minorities stdl remain and in certain parts of the country today when we are discussing this Report here in this House, peace is also not there.

Sir, last November when we were discussing the 12th Report I mentioned certain things about Assam. You know, Sir, in this Annexure item No. 10 on page 136 —extract from statement issued by meeting of Chief Ministers of States and Central Ministers held in August, 1961—it is mentioned:—

"The question of affiliation of schools and colleges using minority languages to universities and other authorities situated outside the State was considered. It was agreed that in most cases it should be possible to arrange for the affiliation of such institutions to universities or Boards within the State, but where there were insuperable difficulties in making arrangements for such affiliation within the State, they might be affiliated to universities or Boards outside the State."

This is a clear provision and this provision is there in the Constitution itself also. The linguistic minorities of the State of Assam are demanding that this safeguard should be there and they should not be deprived of the opportunity of having their university education through their mother-tongue. You know hundreds of people gave their lives during last year's language riots. After that a peaceful movement was organised in the District of Cachar and there was an agreement between the then Minister of State for Home Affairs, Mr. K. C. Pant, the Chief Minister of Assam and the Cachar leaders. In that Agreement all the parties agreed that they will give up agitational approach and the matter will be taken up with the university authorities and both the State Government and the Government of India will assist the people of Cachar for attainment of their language rights but, Sir, after that one year has passed and nothing has been done in this matter either by the university or by the State Government or by the GoTern-ment of India. As a result a separatist movement is now in the offing in that part of the State and I am afraid that unless a tangible workable formula is worked out either by the Government of India or the State Government to solve this problem

ot medium of instruction I am the separatist movement will gai and ultimately what will happen cannot say today. Sir, the Bo were the original settlers of th(Assam and they are also demar language. They do not support uage policy adopted by the Gove Assam and the university there, suit what happens there will be a telegram which I will be jus This telegram is addressed to I Minister, the Home Minister ai Members of Parliament. The says :

"Large scale police atrocities tribals of Assam going or arrested in hundreds. Plain Council and Linguistic Minori Committee leaders of Kokrajh ing Prasenjit Brahma and Bhattacharjee arrested undei Paddy harvesting badlv affectec paralysed."

Thus is the telegram. When w cussing this Thirteenth Report of missioner for Linguistic Minorities also like to draw your attention other points about Cachar. Thi1 was originally a part of the then Bengal. At the time of partition country Bengal was partitioned part of the then Sube of Bengal w on to Assam. Formerly the Go of India had declared their inter constitute a Purbachal Pradesh the wards somehow they dropped the that part was tagged on to Assan that is a completely Bengali-speal geographically separated from th< Assam. Now, the Assam Gover trying to impose Assamese in thai the State as a compulsory langi the secondary stage and also in the and Dibrugarh universities, in the versities of the State, they are nov ing over to Assamese as the only m instruction in the universities. A suit, the demand for Bengali as a of instruction rose in that part State. There was a peaceful Sa

I Shri N. R. Choudhury] movement last year and an agreement was leached belween the Central Government and the Assam Government and also the Cachar leaders, but no follow-up action till today has been taken either by the Central Government or by the State Go\ -ernment or by the University. From this attitude vvc find and also the Report says from 1964 till today the Zonal Council did not meet. Where is the machinery for implementing the national policy on the safeguard of linguistic minorities? There is no such machinery. Once in a year, on the floor of Parliament we all assemble and talk long things. After that we leave, go home and sleep. This way no problem can be solved. The other day we were discussing the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The same thing happens every time in all cases. I think we cannot solve this type of problem So, it will be my request to the Home Minister that the recommendations of the Commissioner must be made mandatory and there must be an institution for the implementation of the recommendations of the Commissioner for Linguistic Minorities.

Then. Sir. another thing. In this connection one of the most important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education. Unless the Government of India comes forward with financial assistance, the State Government would not be in a position to implement them. Such a view was once expressed by another State Government also, it has been mentioned in this connection that one of the important safeguards relating to linguistic minorities pertains to education for which it is presumed the State Governments are already subsidised in one form or another. However, the point now made by the State Governments is an indication that a clear direction may be given by the Government ol India as to how this prob-lem has to be tackled in future. So, Sir, this responsibility of safeguarding the lights of linguistic minorities must be taken over by the Government of India and for that purpose I think education must be nationalised. Thank you.

SHRl P1TAMBER DAS (Uttar Pre desh): Sir, when the earlier Report of th Commissioner was being discussed in th House last year, some Members pointe out some cases of non-implementation < the recommendations. Today also We lin that the same things were repeated by tt two previous speakers. It would be belli if. while replying to this debate the ho Minister is able to tell us what efforts J the Government make to get those com laints, which were pointed out lasi year, r moved. Implementation report of thos suggestions would be useful.

SHRI K. CHANDRASEKHAR^ (Keraia): Mr. Vice-Chairman. Sir, this r port of the Commissioner for Linguist Minorities in the country is being discu' ed every year in Parliament. At the outs I may say that this is one of the most ir portant of reports thai this House can pt sibly discuss because this concerns nation integration. Sir, the most importa facet of national integration education, and the purpose of educatic the fruit of education has got to he weigh with the results, namely, appointment some service. Sir, in this country, by ai large, recruitment to public service is l only means of getting employment so i as these things are concerned. In sevei States you have got to depend upon ei ployment under the State Government ar therefore. Sir, rightly, this report has tri to project what has been done in the fiel of education and in the sector of recru ment to public services.

Sir, every year recommendations ; made and this year also in this report c< tain recommendations are made. The commendations are undoubtedly good far as they go, but we are concerned w the implementation of these recommen! tions. '

[Mr. Deputy Cluiirman tn the Chair]

Reading through the last pages of report, Sir, titled, "The Summary of I plementation of Safeguards" I cannot l think, that it is more or less a summ; of the non-implementation of safeguat

because what that Chapter has been able to tell us has heen more or less what has not been implemented. No doubt there are certain things which have been implemented and we welcome them. Hut in a large sector there is non-implementation. In a large number of Slates there is non-implementation. May I Know from the hon'ble Minister as to whal exactly is the machinery for implementation except persuasion? S:r. to a large extent persuasion has got to succeed particulariv when matters are taken up in Conferences of Chic!' Ministers. But I suggest. Sir, that in this field of linguistic minorities there be enacted a Central legislation as also State legislations. By and large, today we proceed on the basis of administrative and executive orders. Sir, I am happy to say it on the floor of this House that even thougn there are deficiencies and defects, my Stafe of Kerala is one of the Slates which have sincerely implemented some of these suggested safe-guards for the linguistic minorities. That is because a succession of Governments an.! a succession of sincere, honest officers in charge of the job have thought it fit to see (hat the implementation of the safeguards is really fulfilment of a national purpose, and that national role will have to be played in that particular State. Sir, even in the State of Keraia there are certain deficiencies w hich 1 may point out, so far as one linguistic minority is concerned. That is a deficiency that exists not only in Kerala but also in several other States in the country. I am particularly referring to the claims of the Konkani-speaking population in Kerala and in other States of the country. The Konkani-speaking population is a very energetic force. Wherever they have gone, they have been able to capture the business fields and in the fields of commerce, they have been able to go to the top. But it is very tragic that there is no educational medium so far as the Konkani-speaking population is concerned.] find from this Report that the contention of the Central Government, when its attention was drawn by the Kerala Government, was that there was no script for the Konkani-language. To an extent, it is true. But 1 find from the very same Report that in the State of Maharashtra, the Governmert c rashtra have agreed to open K.onk: ols if sufficient number of stud forthcoming. The devanagari sc been recognised as the script Konkani language by their Al Conference, etc. Therefore, thi tions of the people speaking Konl w here in the country should be responded to. Tn the same Kerala there is what is known as 1 speaking population. There is a notion so far as the border area c gode is concerned that it is a minority area. It is not. ft is e a Tulu minority area. By and lar are some Konkani-speaking pec some Kannada-speaking people als also has not got a script. But r hare more or less accepted the script as the script for Tulu. T the aspirations of -the Konkani-population and (he Tulu-speaking pe in my Stale of Kerala and in varie States wherever such populatic should be fulfilled by giving then ties for education in their own lant.

Sir, one very disheartening thin Report is regarding the State o Nadu, ft is wrong on the part of tl Nadu Government if they think th Nadu is for Tamilians, f do nol that they think so, but if they thi would say they are wrong. The of Tamil Nadu for Tamilians c; encouraged. I would appeal to the ment of India to see that this conce encouraged in that State.

Going through this report I I facilities for education in Hindi. > Malayalam and Telugu have bee down every year. And even in under review facilities for educa these languages have gone down, fore, it should be seen through ir of negotiation and advice lhat Tan properly provides adequate facilitie the minority languages and minorities in lhat State.

One important suggestion that 1 made in this report in regard to ths ment of Slate services is that

[Shri K. Chandrasekharan] ledge of the State official language should not be a pre-requisite for recruitment to State services and option of using English or Hindi as a medium of examination should be allowed. A test of proficiency in the State official language should be held during the period of probation. I think that this suggestion is a welcome suggestion and needs implementation. But I would only ask the honourable Minister how this is proposed to be implemented. A working knowledge of English so far as probably the South Indian States are concerned, and Hindi or the State language and a fairly good knowledge for conversational purposes at least of the State language', should be ordinarily considered adequate for recruitment to the State set-vices. Unless this portion of the report on this particular suggestion is implement ed, I should think that we will be rather very far away from the position of really implementing the safeguards for linguistic minorities.

श्री सिकन्दर अली वज्द (महाराष्ट्र) : आली जनाब चेयरमैन, मैं जब यहां आनरेबल मैम्बर्स की तकरीरें सुन रहा था, तो दूसरी जबानों के बारे में और माइनरिटीज के साथ क्या सलूक रहा है, तो मुझे हिन्दुस्तान की एक बड़ी छटी जबान का खयाल आ रहा था, जिसका नाम उर्दू है और ये सारी जुबानों की जो शिकायतें हैं, वह सब शिकायतें मेरी उर्दू जबान की भी हैं। अभी हमारे त्यागी जी फरमा रहे थे कि यू० पी० में जो हो रहा है, वह इलेक्शन के सिलसिले में हो रहा है ।

श्री महावीर त्यागी : वह मैंने इसलिए कहा कि अब तक गफलत थी । इतनी जरूरी चीज की बिलकुल लापरवाही की । अब उठे हैं इतने दिनों बाद । क्या उर्दू इतनी कम चीज थी ? उर्दू वहां का बच्चा-बच्चा जानता है ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जो आप उर्दू बोलते हैं, अगरचे हम शायर हैं, वह फिर भी हमारे लिए काबिले तकलीद है। हमको खुशी है कि हमारी पार्टी उर्दू की मदद के लिये तैयार हुई है और मदद के लिए आप भी उठे हैं । लेकिन मुझे तो आज अपोजिशन से कम कहना है, मुझे अपनी पार्टी के लोगों से ज्यादा कहना है :

"बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी
जैसी अब है, तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी ।।'

श्री महावीर त्यागी : सुभान अल्ला, सुभान अल्ला

श्री सिकन्दर अली वज्द : हमारे जो आनरेबल श्री मोहसिन इस रिपोर्ट के सिलसिले में आये हैं, वह उर्दू ज्यादा नहीं जानते । मैं नहीं जानता कि उर्दू उन्होंने कितनी पढ़ी है। इससे साबित होता है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है मुसलमान तो 6 करोड़ हैं, जिनमें सिर्फ दो-तीन करोड की जुबान उर्दू है। अब यह तो बात कहने की जरूरत नहीं रही, अब तो जनसंघ वाले और दूसरी जमातें भी कह रही हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है। लेकिन वह यह बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं यह 6 करोड़ लोग उर्दू जुबान के लिये हक न मांगने लगें। मैं तो सियासी आदमी नहीं हूं, शायर हूं, पेंशन शायरी की नहीं पाता हूं, अज की पाता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में उर्दू तरक्की करे। मेरी जबान के साथ अब तक इंसाफ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि त्यागी जी जैसे लोग उर्दू के लिये कुछ कहें। अब मैं कांग्रेस में शरीक हुआ तो लोगों ने कहा कि आपने अजन्ता पर नज्म लिखने में बीस साल लगाये एलोरा लिखने पर दस साल लगाये, लेकिन अब अगर आप उर्दू के हक में या मुसलमानों के हक में कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप कम्युनल हैं। मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है लेकिन अगर मैं कम्युनल समझा जाऊं तो शायद इस हाउस में कोई सेक्युलर नहीं होगा। सब मुसलमान उर्दू को अपनी भाषा नहीं कहते हैं . . .

श्री महावीर त्यागी : मेरा चेलैंज है कि इम्तहान हो जाय उर्दू में और फिर देखा जाये कि मुसलमान जीतते हैं कि हम जीतते हैं।

श्री सिकन्दर अली वज्द : यही मेरा कहना कि हिन्दू जीतेंगे । मेरा हरगिज यह कहना नहीं है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है । मैं उर्दू का तालिब्इल्म हूं। मैं उर्दू जुबान की तारीख

को थोड़ा बहुत जानता हूं। यह मेरा सब्जेक्ट है। मैं यह जानता हूं कि उर्दू जबान को फैलाने में हिंदुओं ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मैं यह भी समझता हूं कि मुसलमानों का लेबल लगा कर के मुस्लिम लीग जैसी जमातों ने सियासी तौर पर और जबान के मामले में मुसलमानों को और उर्दू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

श्री महावीर त्यागी : यह भी गलत है। आप जा कर के यू० पी० में देखें कि वहां हजारों मुसलमानों के बच्चों ने आजकल खुशी से हिन्दी सीखी है।

श्री उपसभापति : यही बात वे कह रहे हैं।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जहां लाखों करोड़ों उर्दू बोलने वाले हैं, वहां उर्दू को कत्ल किया गया। यू० पी० में आजादी के 25 साल बाद उर्दू वाले भी कहते हैं कि हम को उर्दू जबान न दी जाय, बल्कि हिन्दी दी जाये, क्योंकि अब उर्दू उनको रोटी नहीं दे सकती। दूसरी कत्ल-गाह आंध्र प्रदेश है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद वहां उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू जबान हटा दी गई। क्या यही हमारा नेशनलिज्म है? बिहार में भी यही हुआ। जहां तक महाराष्ट्र का ताल्लुक है, वहां उर्दू को हर किस्म की सहूलियत हासिल है और सिर्फ बम्बई शहर में जितने उर्दू के स्कूल हैं, उतने सारे हिन्दुस्तान में नहीं हैं। यह अलग बात है कि उर्दू वालों को वहां नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इसका सबूत उर्दू से मुखालिफत नहीं है। वहां तो उर्दू वाले मराठी भी जानते हैं। मैं गोरे साहब और गाडगील साहब, कुलकर्णी साहब से पूछना चाहता हूं कि "महाराष्ट्र कोणाचा?" यानी महाराष्ट्र किसका है; क्योंकि चव्हाण साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र बनने पर महाराष्ट्र उन्हीं का होगा जो उसकी खिदमत करेंगे। लेकिन बाल ठाकरे साहब कहते हैं कि जिसके मां-बाप की जबान मराठी नहीं है, उसका महाराष्ट्र नहीं है। कांग्रेस की वहां सरकार है, इसलिये वहां की सरकार को इस मसले का तसफिया करना चाहिये। हम कहते हैं कि हम मराठवाड़ा के बाशिंदे जब पांच जिलों के साथ महाराष्ट्र में गये तब वह महाराष्ट्र बना, वर्ना वह नहीं बनता। अ में भी दबी हुई चिंगारियां मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : विदर्भ वाले क्या

श्री सिकन्दर अली वज्द : मैं तो कह महाराष्ट्र की तकसीम नहीं होनी चाहि के मामले में भी गवर्नमेंट ने यह तय है कि उसकी तकसीम नहीं होगी। तकसीम का नतीजा यह हुआ कि नौकरी यर हुए मुझे दस साल हो गये, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितनी पेंश क्योंकि अभी तक इसका कोई तसफिया है। इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि मुल्क तक्सीम हो। जिनकी मादरी जबान उनका महाराष्ट्र है, ऐसा कह कर ब जैसे लोग गलती करते हैं। कहीं ऐसा न महाराष्ट्र भी तक्सीम हो जाये। मेरे द कर्णी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे मेटेरियल हैं, बड़े माहिर हैं, बाल ठा कहते हैं कि जिनकी जबान मराठी है, उनका है। मैं श्री कुलकर्णी से पूछना कि आखिर महाराष्ट्र किसका होगा? राष्ट्र से बहुत मुहब्बत करता हूं, मैं उ मत कर रहा हूं और इसलिये मैं चा गवर्नमेंट को इस बात को साफ कर दे नहीं तो लोगों के दिलों में शक पैदा एक नौजवान जो मुसलमान था और उसने उर्दू में एम० ए० किया था। जो हिंदी का हामी हो जाय तो उसकी ब होती है, और वह उर्दू में एम० ए० कहा कि उर्दू और हिंदी में फर्क को सिर्फ लिपि का फर्क है। बाबू जगजीव ने उसकी बहुत पीठ ठोकी और कहा बड़े मार्के की बात कही है। मैं चा हमारे मिनिस्टर साहेबान जिस बात को उसके बारे में कोई बात न कहा करें। झते हैं कि यह सब हिंदी वाले हैं औ मिटाना चाहते हैं। मिनिस्टर के सामने यह वह हर सब्जेक्ट को जानता ही हो, लेकि मिनिस्टर खड़े होते हैं तो माइनर आर्ट पर एनर्जी पर और माइनारिटी लैंग्वेजेज पर

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको अपने हदूद मालूम होने चाहिये। अब रही उर्दू की बात। उर्दू के शेर तो सब से ज्यादा अपोजिशन वाले ही पढ़ते हैं। बहुत से मजहबों की किताबें उर्दू में हैं। उसमें वेद है, उपनिषद् है, उसमें गीता का तर्जुमा है, धम्मपद हैं और कालिदास के ड्रामों का तर्जुमा है और बाइबिल भी है यह सब उर्दू में है। बाज लोग कहते हैं, कि उर्दू में सिर्फ मुसलमानों का लिट्रेचर है। इसमें शक नहीं कि उसमें मुसलमानों का लिट्रेचर बहुत है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी बहुत सा लिट्रेचर उर्दू में है। हमारे आर्य समाजी भाई चले गये, उनका सत्यार्थ प्रकाश भी उर्दू में है। उर्दू ने सब की खिदमत की है। उर्दू किसी एक फिरके की जबान नहीं है। मगर एक बात है। किसी का कत्ल छिपता नहीं, कत्ल बोलता है। इसी लिये उर्दू के कातिल तीन सूबों, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार की मिनिस्ट्रियां आयीं और उलट गयीं। एक उर्दू शायर ने कहा है, त्यागी जी सुनिये :

"करीब है यार रोजे महशर,
छिपेगा कुश्तों का खून क्यों कर।
जो चुप रहेगी जबाने खंजर,
लहू पुकारेगा आस्तीं का" ॥

और अकबर इलाहाबादी ने कहा है :

उर्दू में जो सब शरीक होने के नहीं,
इस देश के काम ठीक होने के नहीं,
मुमकिन नहीं शेख इब्नउल वैसे बने,
पंडित जी बाल्मीकि होने के नहीं ॥

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वाह-वाह में भी यह लोग शरीक नहीं होते।

(Interruption)

श्री सिकन्दर अली वज्द : यह उर्दू फकत शायरी नहीं है। उर्दू में जो शरीक होते हैं। वह सिर्फ यू०पी० के नहीं होते हैं। वह उर्दू तो पूरे नेशन की जबान है। मैं समझता हूं कि इसके लिए आपको पूरी एडुकेशन को नेशनलाइज करना पड़ेगा, अगर आप मुल्क में इंटीग्रेशन चाहते हैं। महाराष्ट्र में आज जैसी तारीख लिखी जा रही है उस पर मुझे एतराज है। उसमें देश को डिसइंटीग्रेट करने का ज्यादा मसाला है। इसको दुरुस्त करना चाहिए। हमको इस तरीके से सोचना है कि हम हिन्दुस्तानी हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि मैं उर्दू वाला हूं और सारा हिन्दुस्तान मेरा है, म परेशानी नहीं है कि उर्दू को कोई स्टेट नहीं मिल मुझे खुशी है कि सारा हिन्दुस्तान उर्दू का है। मैं त कहता हूं कि यहां कोई आसामी है, कोई महाराष्ट्रीय है, तो मैं पूछता हूं कि यहां हिन्दुस्तानी कौन है औ हम उर्दू वाले ही सब हिन्दुस्तानी हैं। मैं कोई शिकाय नहीं करता हूं, न मुझे यह भी खुशी है कि अब उ के सिलसिले में सबकी आंखें खुल गयी हैं। उ वाले इस मुल्क की खिदमत में किसी से पीछे नहीं है अभी चन्द रोज पहले मुझे उर्दू लिटरेचर की एडिटि देखने का मौका मिला जिसमें हमारे शहर, हमा नदियां, हमारे शायर, हमारे ऋषि-मुनि इस किस्म 10 वाल्यूम उर्दू में तैयार हुए हैं। यह है उर्दू लिटरेचर जिस पर इस्लामी छाप होने का एतरा है।

श्री महावीर त्यागी : उर्दू आशिकों की और हिन माशूकों की जुबान है।

श्री सिकन्दर अली वज्द : इसी लिए अर्ज कर र हूं कि आशिकों के बारे में। एक बुजुर्ग ख्वाजा बन्देनवा ने 5,000 साल पहले कहा था—

कुफ्र काफिर को भला शेख को इस्लाम भला
आशिकों आप भले अपना दिलाराम भला

उर्दू मिजाज असल में सूफियाना मिजाज है। हमा सारे शायरों में कट्टर मौलवियों के खिलाफ जितन कहा है उतना किसी जबान में नहीं कहा गया। च रोज पहले एक दोस्त ने कहा था कि जिसने बन्दे मातर नहीं गाया वह देश का गद्दार है। तो यह ठीक है मुझे बन्दे मातरम् पर कोई एतराज नहीं है। इस भी ज्यादा आगे चीजें लिखी गई हैं। खुद "इकबाल ने तो यहां तक कह दिया है—

"खाके वतन का मुझ को हर जर्रा देवता है।"

वे कहते है कि वतन का हर जर्रा-जर्रा मुझे देव नजर आता है। जब मैंने "अजन्ता-एलोरा" लिखा थ बाज लोगों ने एतराज किया था। तो मैंने उनको जवा दिया था :

किस मुहब्बत और अकीदत से तराशे है सनम।
कावये अहले नजर है वज्द बुतखाना तेरा ॥

इसलिए मैं यह भी कहता हूं कि उर्दू को जो मुसलमान की जबान कहता है वह भी गद्दार है—जो मुसलमान

को ट्रेटर कहता है वह भी गद्दार है। जो कहता है कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा" हमारा कौमी गीत नहीं है वह भी गद्दार है और जो यह कहता है कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" भी कौमी गीत नहीं है, वह भी गद्दार है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कहने वाले कहां गए।

श्री सिकन्दर अली वज्द: वह तो खुदा के पास गए। उसका हिसाब-किताब हो रहा होगा। लेकिन अभी उनकी आवाज गूंज रही है। देखना यह नहीं है कि किसने कहा। देखना यह है कि क्या कहा ? यह आवाज तो अभी तक गूंज रही है। जेलों में गूंजी, फांसी के तख्तों पर गूंजी।

200 वर्ष पहले के हमारे एक शायर "मीर" ने कहा है :

मीर के दोनों मजहब को तुम पूछते क्या हो, उन्ने तो।
कश्का खेंचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया।।

इससे उर्दू का मिजाज और अन्दाज मालूम होता है। उर्दू के खिलाफ इन 25 बरसों में, दूसरी जबानों में बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन दूसरी जबानों के खिलाफ उर्दू में ऐसा कोई मैटीरियल नहीं। मैं यहां पर एक कांग्रेसी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उर्दू का आदमी होने की हैसियत से बात कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान में उर्दू कौमी जुबान बन गई है तो क्या हुआ। वहां पंजाबियों की मेज्योरिटी है और अगर कल पंजाबी कौमी जबान बन जाये तो क्या हम यहां पंजाबी को छोड़ देंगे ? भाई, इश्क और इल्म में तास्सुब नहीं चलता। जुबान का कोई मजहब नहीं होता। बाज वक्त वतन छूट जाता है मजहब छूट जाता है, लेकिन मादरी जबान नहीं छूटती। इकबाल कहता है—

तुर्की भी शीरी, ताजी भी शीरी।
इश्के मोहब्बत तुर्की न ताजी।।

यानी न अरबी मीठी है न तुर्की मीठी है, लेकिन मुहब्बत का हर लफ्ज मीठा है।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : उ
मैं भी आपकी खिदमत में जरा अर्ज कर दूं :

सर रख दिया हमने दरे जानानां स
काफिर है जो सिजदा करे बुतखाना स

श्री सिकन्दर अली वज्द : जनाब, मैं
जज रहा हूं। मैं तकरीरें सुनता ही रहा हूं
एक किस्सा सुनाऊं। एक बहुत अच्छे ए
काफी कानून को जानते थे, लेकिन एक केस
बहस कर रहे थे तो मैंने उनको रोक दि
कि क्या आप कानून भूल गये। वह जब
आये तो उन्होंने कहा कि मैं कानून तो
हूं, लेकिन पांच सौ रुपया मिला था इसी उ
करने का। तो मुझे हर किस्म की बात सुन
है, लेकिन यहां मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बा
मैं यहां साल दो साल से खामोश था,
मतलब यह नहीं है कि मैं बोलना नहीं
बात यह है कि आज उर्दू का मामल
है, इसलिए मैं कुछ कह रहा हूं। मुझे ब
है। मैं कोई अपना कमाल दिखाने के
रहा हूं। किसी ने कहा कि मैं कमिटिड
हूं और अभी एक मुशायरे में उन्होंने मुझ
कांग्रेस में गये तो आपकी शायरी का क्या

मैंने कहा :

हर कली खून में नहाई है।
लोग समझे बहार आई है।।

और फिर अपने बारे में कहा :

हमने लिक्खा लहू से अहदे व
हम पै इलजामे बेवफाई है।।

तो जनाब मैं कमिटिड शायरी के इल
कबूल कर सकता।

एक बहुत अहम बात अर्ज करन
बाबू जगजीवन राम जी ने
मुझे बड़ी खुशी हुई कि शकरकोट
पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों ने स
किया। मुझे खुशी है कि मैं भी
और मुझे इस पर फख्र है। मुझे अपने
पर अफसोस नहीं है। मुझे फख्र भी
भी है और किसी को मुस्लिम, क्रिस

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

होने पर शर्माने, पछताने और घबड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह मुल्क सब का है और हमारा कांस्टीट्यूशन सब की हिफाजत करता है। मुझे तो इतना ही अर्ज करना है कि उर्दू का जो कानूनी हक है वह उसे मिलना चाहिये। हमारा आल इंडिया रेडियो जो है उसने भी जी भर कर उर्दू को कत्ल किया है और उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी जिस तरह हलाक किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं। न उसकी हिन्दी समझ में आती है और न उर्दू समझ आती है।

जनाबवाला, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि कम से कम इस रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें हैं, उनको अमल में लाइयें, मैं सब जबानों की हिमायत की बात करता हूं और उसके साथ यह भी अर्ज करता हूं कि कम से कम उस जबान का जरूर तो ख्याल किया जाय, जिसको तीन करोड़ हिन्दुस्तानी बोलते हैं। मुझे सेन्सस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। औरंगाबाद में मेरे घर के बीस आदमी रहते हैं, लेकिन वहां कोई सेन्सस का आदमी नहीं आया और उसने न मालूम क्या लिख लिया। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि पंजाब के जो आंकड़े हैं, वह काबिले एतबार नहीं हैं—यह बिलकुल ठीक है। मुझे तो हर लिंग्विस्टिक माइनारिटी के सिलसिले में इस रिपोर्ट की हर एक सिफारिश से इत्तिफाक है और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट जागी है। उर्दू के लिए यू० पी० में जो काम हो रहा है वह कल आंध्र में भी हो जायगा। किसी की जबान से हमको कोई झगड़ा नहीं है। जहां कहीं किसी जबान के साथ नाइन्साफी हो तो मैं उस जबान के लिये भी इसी तरह लड़ूंगा जिस तरह मैं अपनी जबान के लिये लड़ता हूं। ऐसे मामलों में हम साथ मिल कर चलेंगे।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज हम इस सदन में भाषाजात अल्पसंख्यकों के विषय में वाद-विवाद कर रहे हैं। श्रीमन्, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय हमारे यहां जो प्रान्त थे, प्रदेश थे, वह मल्टी-लिंग्विस्टिक ज्यादा थे, इसलिए आजादी से पहले भी और इसके बाद भी इस बात को महसूस किया गया कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के उभार के लिए यह आवश्यक है कि उसको अपनी भाषा में ही अपने को एक्सप्रेस करने और अपने को प्रकट करने का पूरा-पूरा मौका हो। स्टेट्स का डि-लिमिटेशन हुआ, नई स्टेट्स बनीं और इस बात की कोशिश की गई कि जहां तक हो सके एक-भाषायी प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन, श्रीमन्, एक-भाषायी प्रदेश भी बने, दो-भाषायी प्रदेश भी बने, राज्य बने, लेकिन इसके बावजूद जहां एक भाषा के भी प्रदेश बने वहां काफी संख्या ऐसे लोगों की रह गई जो उस भाषा को छोड़ कर एक अपनी दूसरी भाषा बोलते और पढ़ते हैं। यही वजह थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा-जात अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षाएं की और उन सुरक्षाओं को लागू करने वाले संस्थान अधिक सशक्त बनाने की सिफारिश की। इसलिए हम देखते हैं कि कांस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल 29वां है, इसमें लिखा हुआ है :—

"(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same."

यह अधिकार हमारे संविधान के अन्तर्गत दिया हुआ है। इसी तरह से श्रीमन्, आर्टिकल 347 में लिखा हुआ है :—

"347. On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify."

मैं सब तो नहीं पढ़ता, लेकिन इसी तरीके से आर्टिकल 350 में यह अधिकार दिया गया है कि :—

"Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be."

इसी तरह से और भी दिया हुआ है। श्रीमन्, आर्टिकल 350 (ए) में इस बात की कोशिश की गई कि प्राइमरी स्टेज में लोकल बाडीज में जो प्राइमरी एजुकेशन हो, वह लोगों की अपनी मातृभाषा में हो। श्रीमन्, मातृभाषा के मानी यह हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जिस भाषा को अपनी मां के दूध के साथ सीखता है, वह उसकी मातृभाषा मानी जाती है। लेकिन देखने में यह आया कि बावजूद इन कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्सन्स के, इन कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स के,हर स्टेट्स से इस बात की शिकायत आती है कि उनका पूरा-पूरा कार्यान्वित नहीं होता है। उनका पूरा-पूरा इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है। महाराष्ट्र का जिस समय नया स्टेट बना, तब बहुत कुछ ऐसे भी हिस्से वहां गये हैं जो कि एक जमाने में कन्नड़ बोली जाने वाले क्षेत्र थे या कहिए किसी वक्त में मैसूर का हिस्सा था। अब वहां की शिकायत यह है कि वहां के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में पढ़ने की सुविधाएं नहीं हैं और मराठी भाषा उनके ऊपर जबर्दस्ती थोपी जाती है। यह एक बोन आफ कन्टेंशन है, मैं उसमें तो जाना नहीं चाहता कि वह कहां तक सही है, कहां तक गलत है, मगर एक बात जरूर चाहता हूं, जब हमने कांस्टीट्यूशन में ये सेफगार्ड्स किये और जैसा कि इस रिपोर्ट के अन्दर भी लिखा हुआ है कि अगर किसी स्कूल के अंदर 40 बच्चे हों या किसी जगह या किसी एक खास कक्षा में 10 विद्यार्थी भी हों तो उनको उनकी मातृभाषा में एक टीचर रख कर पढ़ाने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि लोगों को अपना रिप्रेजेन्टेशन अपनी भाषा में देने का अधिकार होगा और यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी जिले में 15 या 20 परसेन्ट आदमी एक अमुक भाषा को जानने वाले हों तो उस जिले के अंदर जो सरकारी नोटिस और प्रकाशन होंगे, वे उस भाषा में भी किये जायेंगे, वहां की स्टेट भाषा के साथ-साथ। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि राज्य मुख्यालय में एक ट्रान्सलेशन ब्यूरो होगा जो विभिन्न भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन किया करेगा और यह भी है कि जिस भाषा में याचिका या पेटीशन या आवेदन-पत्र होगा, कोशिश यह की जाएगी कि उसी भाषा में उसको उत्तर दिया जाये। एक यह भी सिफारिश थी कि राज सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की सरकारी भाषा के पूर्व-ज्ञान की शर्त नहीं होनी चाहिये और परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सब श्रीमन्, भाषाओं के बारे में कहा गया है।

जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में वहां ं की इस तरह की शिकायत है कि उनको अप सीखने की सुविधा नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी शिकायत है।

अब मैं पंजाब की बात कहना चाहता रिपोर्ट के पेज 60 में लिखा है कि पंजाब सरका प्रश्नावली भेजी गई थी, उसके संबंध में वहां की ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी प्रकार आंकड़े ही दिये कि वहां पर लिंग्विस्टिक मा कितनी है या नहीं है। अगर वहां पर लि माइनारटीज हैं तो उनका परसेंटेज कितना तरह के आंकड़े वहां की सरकार ने नह श्रीमन्, यही नहीं, चर्चा के दौरान भी इस ओर कमीशन का ध्यान दिलाया गया, पर सरकार का कहना है कि हमारे यहां तो अल्प संख्यक नहीं है। मगर कमीशन का कह कि यह तथ्य सही नहीं है।

यही नहीं, श्रीमन्, जो सच्चर फार्मूला था भी उन्होंने रद्द कर दिया। वहां के लोगों ने 347 और 350 के अन्तर्गत यही मांग की है पति पंजाब सरकार को यह निर्देश दें कि स मुताबिक भाषा अल्प संख्यकों को हिन्दी उर्दू अ में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय।

श्रीमन्, इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं। लोगों को कहीं कुछ सुविधा प्रदान की भी ग हिन्दी के बारे में तो सरकार से जो सुविधाएं प्राप्त थीं, उन्हें भी बन्द कर दिया है। इस मालूम पड़ता है कि पंजाब सरकार ने हिन्दी आफेन्सिव ले रखा है या ऐसा कदम उठाना है। हिन्दी भाषियों के प्रतिनिधियों द्वारा ब कि पंजाबी विश्वविद्यालय की पाठ्चर्या के विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक तथा उच्चतर स्तर पर माध्यम के रूप में हिन्दी ली हो, हिन्दी माध्यम नहीं ले सकते, जबकि अंग्रेजी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बात रिपोर्ट है। इस तरह हिन्दी के साथ वहां पर भेदभा

[श्री नवल किशोर]

रहा है। मैं यह देख रहा हूं कि वहां पर पहले उर्दू के साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता रहा, लेकिन हिन्दी के साथ खास तौर पर भेदभाव किया जाता है। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा, जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज है कि हिन्दी तथा उर्दू भाषियों को प्राथमिक तथा माध्यमिक सरकारी स्कूलों में अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधाएं नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पंजाब सरकार क्यों कोई गारन्टी नहीं दे सकती है ?

इसी तरह से इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि मार्च, 1971 में चंडीगढ़ वार्ता के दौरान शिक्षा सचिव द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि पंजाब सरकार को शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में केवल पंजाबी की ही शिक्षा का माध्यम रखने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। पंजाब सूबा भी हिन्दुस्तान का एक सूबा है और मैं पंजाबी भाइयों की इज्जत करता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि इस बारे में उनका इस तरह का एटीट्यूड क्यों है ? संविधान में इस बात की गारन्टी है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस बात की अवश्य कोशिश की गई है कि हिन्दी भाषा को किसी के ऊपर थोपा न जाय, बल्कि आहिस्ते-आहिस्ते उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में वह स्वयं उभर कर आये और अन्त में वह सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन जाये। एक तरफ तो हमारे संविधान में इस तरह की बात कही गई है और दूसरी तरफ पंजाब में हिन्दी के खिलाफ इस तरह का विरोध है जो कि काबिले बरदाश्त नहीं है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि तमिल नाडु की जहां तक बात है, तमिल नाडु में जो तामिल भाषा है वह अपनी जगह पर है और भी जितनी रिजनल भाषाएं हैं उनकी अपनी जगह है, सरकार इस बात की कायल है कि जो तीन सूत्रीय लेंगवेज फार्मूला है उसको लागू किया जाय सारे हिन्दुस्तान में। जब मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री था तो उस समय उत्तर प्रदेश में तीन सूत्रीय लेंगवेज फार्मूला लागू करने की बात की गई थी। एक भाषा तो हिन्दी थी, दूसरी अंग्रेजी थी और तीसरी भाषा चाहे उर्दू हो या फिर साउथ इंडिया की कोई भाषा हो, जिसको वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए था जिससे हर मनुष्य को कम से कम एक दक्षिणी भाषा का ज्ञ प्राप्त हो सके। हमारे यहां लखनऊ के अन्दर ए इंस्टीट्यूट खोल रखा है, जहां पर साउथ इंडिय भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, जहां पर लोग साउ इंडिया की भाषाओं को सीखते हैं तथा उसमें इम्तिह पास करते हैं। मद्रास में हिन्दी के खिलाफ किसी त का आन्दोलन हो यह बात समझ में नहीं आती है जबा मद्रास में भी काफी लोग हिन्दी बोलते हैं। इसी तरह आन्ध्र की बात है और पंजाब की बात है। हिन्दी क्षेत्रीय भाषाओं से टकराव कहां है ?

मेरे दोस्त जो अभी बोल रहे थे उनमें से मैं इ बात में इत्तिफाक करता हूं कि उर्दू भाषा मुसलमा की भाषा नहीं है। भाषा का कोई वास्ता किसी मजह से नहीं होता। अगर उर्दू मुसलमानों की भा होती तो आज बंगला देश के अन्दर वहां की भा बंगाली नहीं होती, उर्दू होती। आन्ध्र का हिन्दू औ आंध्र का मुसलमान दोनों तेलगू बोलते हैं। इसी त से बंगला देश में और पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोल हैं, तमिल नाडु में तमिल बोलते हैं। पाकिस्तान के अन्त सिन्ध में सिन्धी भाषा है, पंजाब में पंजाबी औ उर्दू है। भाषा का कोई वास्ता मजहब से है इस बात मैं नहीं मानता हूं। मेरे दोस्त इत्तिफाक करेंगे। हिन्दी के जो बड़े-बड़े कवि हुए हैं, जैसे कबीर हुए, रही साहिब हुए, रसखान हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य खजाने को अपनी योग्यता से भर दिया, वे हि नहीं थे। चकबस्त मुसलमान नहीं है, फिराक सा मुसलमान नहीं है, मुल्ला साहब जो इस वक्त यहां न हैं और उर्दू के एक अच्छे शायर हैं वे भी मुसलमा नहीं हैं। जहां तक उर्दू का वास्ता है, मैं उन लोगों से हूं जो उर्दू को उत्तर प्रदेश की उतनी भाषा मानते हैं जितनी हिन्दी को मान हैं। झगड़ा स्क्रिप्ट का पड़ता है कि कौनसी स्क्रि हो। मैं जो जबान बोलता हूं वह न ठेठ हिन्दी है, ठेठ फारसी है, वह ऐसी भाषा है जिसको सब सम सकते हैं . . .

श्री सिकन्दर अली वज्द : आप उर्दू बोल रहे है

श्री नवल किशोर : इसको मैं उर्दू कहता हूं, हिं कहता हूं, हिन्दुस्तानी कहता हूं। एक चीज जो मु लगती है वह यह है कि भाषा को उसकी मैरिट प

हमको डिस्कस करना चाहिये । उत्तर प्रदेश में इस बात की कोशिश की गई और इस बात के आदेश हैं गवर्नमेंट के कि कचहरियों में जो भी चाहे उर्दू में एप्ली-केशन दे सकता है, वहां ट्रांस्लेशन का भी इन्तजाम है । यह भी है कि जिस कक्षा में पांच विद्यार्थी भी उर्दू चाहेंगे, वहां टीचर को मुहैया करना पड़ेगा । दिक्कत यह पड़ती है—मेरा एक्सपीरिएंस भी है—कि हमने टीचर दे दिया, लेकिन वहां पांच स्टूडेंट भी नहीं मिलते । मगर, श्रीमन्, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उर्दू भी उत्तर प्रदेश के अन्दर पोलिटिक्स बन गई है । मैं 100 परसेंट अपने उन दोस्तों के साथ हूं जो उर्दू की तरक्की चाहते हैं । उर्दू भी हमारी 14 भाषाओं में से है । उर्दू, जैसा त्यागी जी ने कहा, आशिकों की भाषा है और हिन्दी माशूकों की भाषा है । अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट किया तो आशिक को भी माशूक की भाषा पढ़नी पड़ेगी, यह नहीं कि सिर्फ माशूक ही आशिक की भाषा पढ़े; क्योंकि कायदा यह है कि आशिक को दबना पड़ता है माशूक से ।

श्री पीताम्बर दास : उल्फत का तब मजा है जो दोनों हों बेकरार ।

श्री नवल किशोर : और दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उर्दू की सही खिदमत तभी करेंगे . . .

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : हम करेंगे ।

श्री नवल किशोर : ओम् मेहता, आपकी गिनती माशूकों में होती है, आप मत बोलो ।

श्री महावीर त्यागी : काश्मीर के रहने वाले सब माशूक हैं ।

श्री नवल किशोर : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर आप उर्दू की तरक्की चाहते हैं तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि हमारे उर्दू परस्त साथी उर्दू के साथ-साथ हिन्दी को भी पढ़ें । हम लोग उर्दू पढ़ें, वे लोग हिन्दी पढ़ें । यह सवाल हिन्दू-मुसलमानों का नहीं है । होता क्या है ? उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो आजकल बड़ा जोर है उर्दू के टीचर्स नियुक्त करने का । हमारी गवर्नमेंट की बात आप कह सकते हैं चाहे गलती की हो । लेकिन इस पार्टी कल तक थी, फिर प्रेसिडेन्ट शासन भी मगर अब पता चला है कि दो हजार उर्दू किए गए हैं और इतने ही और किये जायेंगे लिये या उसकी तरक्की के लिये उतना न सिर्फ दो हजार वर्कर पैदा किये जा रहे हैं के आने वाले चुनाव के लिए ।

श्री ओम् मेहता : यह बात नहीं है

श्री नवल किशोर : ओम् मेहता, आप भी हैं, कमलिन भी हैं, लेकिन जो चीज मैं उसको भी ध्यान से सुनो ।

आप ताज्जुब करेंगे । उर्दू एडीटर्स क हुई । मैं उसका स्वागत करता हूं । जो उठाया जायेगा उर्दू की तरक्की के लिए साथ दूंगा । मगर वह उर्दू एडिटर्स कांफ्रेंस की तरफ से नहीं थी, वह एक स्टेज मैनेज्ड

श्री सिकन्दर अली वज्द : हिन्दू राइ थी, उसके बारे में क्या था ?

श्री नवल किशोर : हो सकता है वह मैनेज्ड भी हो । इस समय मैं हिन्दी अं कंपीटिशन नहीं कर रहा हूं । उसमें शेख तशरीफ ले गये थे और प्रधान मंत्री भी, मैं कि आप उनके पंजे में न फंसें ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : 60 वर्ष के व पंजे में नहीं आता ।

श्री नवल किशोर : मैं यह बात समझ आदमी की इंटेलिजेंस कभी स्टेटिक नहीं हो डायनेमिक है । मेरी इंफार्मेशन यह है कि स टेशन इस कान्फेन्स में डाइरेक्टर आफ इं इश्यू किये । । लाख 14 हजार रुपये गवर्नमें से दिये गये । इससे उर्दू की सही सेवा न लोग जरूर बहकाये जा सकते हैं । स कोई भी गवर्नमेंट हो, उत्तर भारत में हो या दक्षि में, मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी गव लेकिन जो भाषा है, चाहे वह भाषा हिन्दी हो हो या और भाषा हो, उसको सुविधा होनी ही

[श्री नवल किशोर]

मैं न पजियनाइज्ड उर्दू के हक में हूं,न संस्कृटाइज्ड हिन्दी के पक्ष में । इसी लिए गांधी जी ने कहा था कि हमको उर्दू और हिन्दी मिली जुली हिन्दुस्तानी भाषा पर फख्र होना चाहिए । मैं नहीं जानता कि बाबू जगजीवन राम ने बिहार में क्या बात कही मगर एक बात मैं जानता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, हर स्टेट की जो अपनी भाषा है, उस भाषा के साथ साथ मैं इस विचार का हूं कि हिन्दुस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें अल्पसंख्यकों की जो भाषायें हैं, उनका सुधार होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए; क्योंकि यह ऐसा चमन है जिसमें अगर तरह-तरह के फूल नहीं खिलेंगे तो उसमें एक मोनोटनी पैदा हो जायेगी ।

आज भाषा के नाम पर फैनेटिसिज्म चाहे हिन्दी के समर्थकों का हो, चाहे ऐन्टी हिन्दी के समर्थकों का हो, मैं उन लोगों में हूं जो हिन्दी को किसी स्टेट पर थोपना नहीं चाहते हैं । लेकिन यह बात आपको माननी पड़ेगी कि यदि हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र की शक्ल में एकता के साथ रहना है, तो कोई न कोई भाषा इसकी होगी । चाहे तमिल राष्ट्रभाषा बन गई होती, मुझे इसमें आपत्ति नहीं, मगर अंग्रेजी को पसन्द करें, हिन्दी से हम नफरत करें, श्रीमन्, यह हमारी देश-भक्ति, पेट्रियाटिज्म के खिलाफ है । बंगला भाषा बहुत स्वीट है जैसे कि यूरोप में फ्रैंच कही जाती है बड़ी स्वीट भाषा है । अगर मुंह में रसगुल्ला रख कर हिन्दी बोलिये तो वह बंगला हो जाती है, मुंह में कंकड़ भर कर बोलिये तो दूसरी भाषा हो जाती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा । तो जो इतनी मीठी भाषा है कि बिना रसगुल्ले के मिठास आ जाए तो मैं इस व्यू का हूं कि ऐसी भाषा सबको सीखनी चाहिए । मैंने जेल में गुजराती पढ़ी ।

मैं जो बात कहना चाहता था इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में वह यह है कि इस कमीशन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में यह बात बताई है कि बावजूद कंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड के बावजूद सरकारी कमिटमेंट के बावजूद हमारी लम्बी-लम्बी स्पीचेज के, आज भी हर स्टेट के अन्दर जहां लिंग्विस्टिक माइनारिटीज हैं, उनके साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हो रहा है ।

श्रीमन्, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मुझे पंजाब की क्या स्थिति है, इसका पहले इतना ज्ञान नहीं था । अभी तक मैं समझता था कि साउथ में ही अपोजिशन है । मगर हरियाणा और पंजाब जो कल तक एक था, वहां जिन लोगों को प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त थीं, वह भी अब बन्द कर दी गई हैं । अगर हिन्दुस्तान में यह चीज चलेगी, इस समय वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, मगर मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मगर जिस पार्टी की सरकार यहां है उसी की वहां की गवर्नमेंट हो, तब फिर यह कितने शर्म की बात है कि पंजाब के अन्दर हिन्दी के साथ यह बर्ताव किया जाए और वहां की गवर्नमेंट कह दे कि कोई लिंग्विस्टिक माइनारिटीज वहां नहीं है । ऐसे फैटेस्टिक स्टेमेंट को हम कैसे बर्दाश्त कर लें । मैं उम्मीद करता हूं . . .

श्री महावीर त्यागी : लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पंजाब में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, उसी पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है , तो क्या यह इसको ठीक नहीं कर सकते ।

श्री नवल किशोर : इसी लिए और भी जरूरी हो गया हमारे मोहसिन साहब बैठे हैं, पता नहीं यह कितना कर पायेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्ट साहब पंजाब सरकार को बुला करके कहें कि इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का आप क जो ऐटिट्यूड है, वह बिलकुल गलत है और काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको चेंज कीजिये, अगर वे चेंज नहीं करते हैं तो अंडर आर्टिकल 347 और अंडर आर्टिकल 350 उनको प्रेसिडेंट साहब की तरफ से डाइरेक्शन दिया जा सकता है । इसी तरह से चाहे आंध्र की स्टेट हो, चाहे तमिल नाडु की स्टेट हो, चाहे उड़ीसा की स्टे हो, चाहे कोई और स्टेट हो, कहीं इस तरह की बा नहीं होनी चाहिये । मैं यह चाहूंगा कि उर्दू भाषा सि उत्तरी भारत की भाषा न हो ऐज वन आफ दि । लेंग्वेजेज । इसका अगर विकास दक्षिण में भी हो, मुझे इस बात की खुशी होगी । (*Interruption*) अपने भाई से कहूंगा कि आप तमिल नाडु में जाकर उर्दू बोलिये, तो लोग पूछेंगे कि किस देश से आये हैं

श्री सिकन्दर अली बज्द : मैं मद्रास में मुशायरे गया तो वहां दस हजार आदमी शरीक हुए और सी

दिन मुशायरा चला। वहां इस जबान को लोग समझते हैं।

श्री नवल किशोर : आप मुशायरे में गये थे। मैं चाहता हूं कि यह भाषा मुशायरे से हट कर के आम लोगों में आ जाए।

श्री सिकन्दर अली वज्द : मुशायरे में पार्लियामेंट के मेम्बर कम आते हैं, आम आदमी ज्यादा आते हैं।

श्री नवल किशोर : मुझे भी बड़ा शौक है मुशायरे का...

श्री ओम् मेहता : आप भी कोई शेर सुना दीजिये।

श्री नवल किशोर : मैं इसको मुशायरा नहीं बनाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी रिपोर्टों के संबंध में आज यह ट्रेंड होता जा रहा है कि चाहे वह युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह लिंग्विस्टिक माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट हो, वह पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। उस पर बहस हो गई और हमारे पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ओम् मेहता साहब ने समझ लिया कि हमारा काम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि वास्तव में ऐसी रिपोर्ट्स में जो सिफारिशें की जायें, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। ओम् मेहता साहब नहीं हैं, लेकिन मोहसिन साहब बैठे हुये हैं। उनका भी इससे बहुत बड़ा वास्ता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी सेंटर में हिन्दी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने कांस्टिट्यूशनल कमिटमेंट किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उसकी तरफ मजबूती के साथ आपको कदम बढ़ाना चाहिये। मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि आप कोई काम ऐसा मत करिये जिस से किसी के जजबात को ठेस लगे। मगर जब हिन्दी को आप को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो इस कदम को सेंटर से आप को शुरू करना पड़ेगा। सेंटर में चाहे ट्रांस्लेशन का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, आप हिन्दी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी जो सिफारिशें की जायं उनको इम्पलीमेंट किया जायं। खास तौर से जो आसाम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदि की बात कही गई है, लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के संबंध में, उन पर विचार कर के वहां के लोगों को प्रापर प्रोटेक्शन प्राप्त होना चाहिए।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) : उपाध्यक्ष जी, भाषा, भाषा-भाषी उन के बहुमत और उनके अल्पमत पर जो विवरण आया है उस पर विचार हो रहा है। मुझे पहले तो भाषा के संबंध में यह बात कहनी है कि भाषा की परिभाषा में वे ही भाषायें आती हैं कि जिनका अपना साहित्य होता है स्वतन्त्र रूप से और जिनकी प्रतिष्ठा किसी एक भू-भाग में होती है। भाषा का इतिहास यह कहता है कि दुनियां के प्रत्येक भू-भाग में जब कि वे एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे जितने कि आज हो गये हैं या विज्ञान ने जितना पास आज उन को कर दिया है, उस समय अपने-अपने भू-भाग में अपनी अपनी भाषा की उत्पत्ति हुई। किसी भाषा का सिद्धान्त ध्वनि या तो किसी भाषा का सिद्धान्त कुछ और या और इस तरह से विभिन्न भाषायें बन गयीं। हमारा अपना यह विशाल देश है और इसलिए स्वाभाविकतः बड़े देशों में कठिनाइयां होती हैं और इस कारण न जाने कितनी भाषायें इस देश में हो गयीं, उन की उत्पत्ति इस देश के विभिन्न भागों में होनी थी और आप चाहे किसी भी बड़े देश को ले लीजिए, जैसे अभी योरोप का जिक्र हो रहा था कि वहां कितनी ही अलग-अलग भाषायें हैं और वे अपने-अपने किस्म से बनीं इसी तरह से हमारे यहां भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और मध्य में अलग-अलग भाषायें बन गयीं जो कि उनकी उत्पत्ति माना जाता है कि एक तमिल को छोड़ कर प्राकृत से या संस्कृत से या अपभ्रंश से हुई। यही कारण है कि तमिल को छोड़कर बाकी सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द पाये जाते हैं, किसी में अधिक और किसी में कम पाये जाते हैं। जब कि भाषावार प्रान्तों की रचना हुई तब उस समय सिद्धान्त तो यही था कि जहां एक भाषा बोलने वाले अधिक भाषा भाषी लोग हैं, उनका अपना भू-भाग है उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिले और वह अपने यहां के विद्यार्थियों को अपने यहां के नागरिकों को उसी भाषा में शिक्षा दे सकें जो कि उनकी मातृ भाषा है या जिस भाषा को वहां का बहुमत बोलता है और यही कारण है कि एक बार प्रान्तों की रचना हुई, फिर कुछ एतराज हुए और फिर से उस सब पर विचार किया गया और

[पंडित भवानी प्रसाद तिवारी]

उसके बाद फिर कुछ प्रदेश और बन गये । अभी तक थोड़ा बहुत उसी का आधार ले कर राज्य बनते जा रहे हैं । हमारे अपने संविधान में १४ भाषाओं को अधिकृत रूप से माना गया । यह माना गया कि यह देश की प्रमुख भाषायें हैं । अभी विवाद में ऐसी भाषाओं का नाम लिया गया जैसे कि कोंकण है, या टुलू है, लेकिन भाषा की परिभाषा के अनुसार उन्हें भाषा नहीं माना जा सकता । उन को बोली कहेंगे, या डाइलेक्ट कहेंगे, पर पूरी भाषा, जिसमें साहित्य होता है वह उन को नहीं मान सकते । इस रिपोर्ट में जो प्रसंग है वह संविधान में बोलने वाली भाषाओं और उन के प्रसंग में अल्पमत और बहुमत जहां नहीं पैदा होता है उस पर कुछ कहा गया है । अब आप देखेंगे कि देश में जो सब से अधिक भाषा बोली जाती है वह हिन्दी है । किन्हीं प्रान्तों में वह कम बोली जाती है, जैसे दक्षिण में, वहां यह अल्पमत में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में यह अल्पमत में है । इसी प्रकार सभी भाषाओं का हाल है । जैसे अभी आसाम का जिक्र किया जा रहा था कि आसाम में जहां असमिया बोलने वालों का बहुमत है, वहां पर बंगाली जो हैं, कछार में जो लोग रहते हैं बंगाली भाषा भाषी हैं वह अल्पमत में हैं । इसी प्रकार पंजाब का जिक्र त्यागी जी ने किया और बताया कि वहां पंजाबी बोलने वालों का बहुमत है । आज जैसा पंजाब बन गया है उसमें यह ठीक है परन्तु वहां अल्पमत की भाषायें हैं उससे कोई इंकार नहीं कर सकता और कोई इंकार करता है तो गलत करता है । तो जो एक जगह बहुमत की भाषा है वह दूसरी जगह अल्पमत की भाषा बनती है । श्रीमन्, राज्यों का विभाजन हुआ है भाषाओं के अनुसार और तीन भाषायें हैं ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : ओम् मेहता साहब, अभी वोटिंग हो तो बराबर हो जायेगा ।

श्री ओम मेहता : आप हमें हरा दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है ।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : आप अलग से मत पालियामेंट चलाओ यादव जी ।

श्रीमन्, मैं अर्ज यह कर रहा था कि संविधान में जिन चौदह भाषाओं का प्रसंग आता है उनमें तीन भाषायें ऐसी हैं जो कि किसी राज्य का बहुमत की भाषा कही जावें ऐसी स्थिति नहीं आई है और वे तीन भाषायें हैं—सिंधी, संस्कृत, और उर्दू । सिंधी—जिसका कोई राज्य नहीं है जहां कि वह बहुमत की भाषा कही जा सके, स्वयं संस्कृत जो है उसका बहुमत में बोलने वाला कोई राज्य नहीं है और उर्दू भी ऐसी ही भाषा है कि जिसका किसी राज्य में बहुमत नहीं है बोलने वालों का ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : काश्मीर में तो आफिशियल लैंगुएज है ।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : काश्मीर में है । मैं कहना यह चाहता था कि उसी उर्दू भाषा में—आज जिसकी चर्चा है अभी जो शायर साहब थे वह चले गये जिन्होंने उसके संबंध में बातें कहीं—उसी में भाषाओं के संबंध में इतनी प्यारी और मीठी बात कही गई है जो सब पर लागू होती है—और अभी भाई त्यागी जी और सब लोग जिक्र कर रहे थे—तो उर्दू में ही एक इतनी मीठी बात कही है सब जबानों के बारे में । अभी आशिक माशूक वगैरह का भी चर्चा हुआ । कहा है कि इश्क की दास्तान है प्यारे और अपनी अपनी जबान है प्यारे—यानी सभी भाषायें मानवप्रेम का गुणगान गाती हैं, उनकी अपनी-अपनी स्टाइल है, अपनी-अपनी शैली है, अपनी-अपनी अभिव्यक्ति है, जिसमें वह अपने को अभिव्यक्त करते हैं । इसी तरह सभी जबानों का मामला है तो यह हमारी समझ में नहीं आता कि इसको राजनीति और उसके अधिकारों से जोड़ कर और जगह जगह अल्पमत और बहुमत के नाम से जो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत पैदा की जाती है वह क्यों ! यह बड़ी गलत बात है । असल में समस्त भाषाओं का जो संबंध है वह बड़ी और छोटी बहनों का संबंध है । कहीं पर जहां बहुमत है बोलने वालों का वह बड़ी बहन है और जहां अल्पमत भाषा भाषी हैं वे छोटी बहन हैं और जो बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में संबंध होना है यही संबंध यदि सब जगह रह जाये—जैसे तामिल है—वहां नफरत न हो और वह समझे कि वह बड़ी बहन है और यहां जो अल्पमत है भाषा भाषियों का वह छोटी बहन है तो यह झंझट खत्म हो जाये । इसी तरह से आसाम में या सब जगह यही उसका हाल है कि बड़ी बहन और छोटी बहन के रिश्ते से ये सब भाषायें आपस में रहें

सरकार इस संबंध में क्या करे । तो मुझे यह सुझाव देना है कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसा केन्द्र हो चाहे उसका आधा खर्चा राज्य वहन करें और आधा केन्द्र वहन करे जिससे सिर्फ लेंगुजेज ही पढ़ाई जायं और चार भाषायें प्रत्येक सटर में हों, ऐसे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ऐसे चार भाषा भाषी केन्द्र खोले जायें जिसमें केवल भाषायें पढ़ाई जायें । आप देखेंगे, और मेरी कल्पना यह है, कि जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैं जानता हूं वहां आस-पास मराठी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, तेलुगु या उड़िया भी बोली जाती है, तो ये 4 भाषाएं मध्य प्रदेश में पढ़ायी जाएं, कहीं एक केन्द्र बना कर, इस तरह से प्रत्येक केन्द्र में करीब चार-चार भाषाओं के क्षेत्र हों, तो आपस में प्रेम होगा, नफरत नहीं होगी, फैलाव होगा, एक दूसरे की भाषा को लोग जानेंगे । यह सुझाव मुझे देना है । दुनिया जिस तरह से चल रही है, हम अल्पमत और बहुमत के नाम को लेकर आपस में झगड़ते हैं, मार-काट करते हैं—यह हमारे लिए शर्म की बात है । बंगला भाषा इतनी अच्छी भाषा है और उसकी अभिव्यक्ति इतनी शक्तिशाली हुई कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर सारी दुनिया को एक महाकवि स्वीकार हुए और उनके बोलों के ऊपर आज इंकलाब होते हैं और जिसको कि हम अपने देश में माइनारिटी या अल्पमत की भाषा कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति इतनी ताकतवर हुई । आज रवीन्द्र नाथ गुरुदेव कहलाते हैं, सारी दुनिया उनको ऐसा मानती है । आज मानस चतुश्शती में तुलसीदास के रामचरितमानस का रूसी में, अंग्रेजी में, अनुवाद हो चुका है और दुनिया उसको जान रही है । तो हम भी यही समझते हैं, संसार ऐसा प्रयत्न करे कि प्रेमपूर्वक एक भाषा दूसरी भाषा से गले मिले और इस काम को आगे बढ़ाएं, जिसका कि संकेत इस विवरण में है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 28th November, 1973.

MGIPRRND—42 RSS/73—Sec. IV (N. S.)—8-2-74—575